

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1492]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 17, 2014/आषाढ़ 26, 1936

No. 1492]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 17, 2014/ASHADHA 26, 1936

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2014

का.आ. 1855(अ).—जबकि, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23क की उप-धारा (1) के तहत 01 अप्रैल, 2014 को वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग में भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 998(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने, क्रमशः स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर और आईसीआईसीआई बैंक द्वारा प्रायोजित मरुधारा ग्रामीण बैंक और मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) का सम्मेलन करके स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर के प्रायोजकत्व में एक एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नामतः 'राजस्थान मरुधारा ग्रामीण बैंक', जिसका प्रधान कार्यालय 'जोधपुर' में होगा, अधिसूचित किया है।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, निदेश देती है कि 01 अप्रैल, 2014 से मरुधारा ग्रामीण बैंक और मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक, जो सम्मेलन के परिणामस्वरूप कार्य करना समाप्त कर चुके हैं, भंग हुए माने जाएंगे और यह उक्त अधिनियम की धारा 26 में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, प्रभावी होगा।

[फा. सं. 7/9/2011-आरआरबी]

आलोक टण्डन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Financial Services)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th July, 2014

S.O. 1855(E).—Whereas, by notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Financial Services number S.O. 998(E), dated the 1st April, 2014, issued under sub-section (1) of section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government has notified for amalgamation of Marudhara Gramin Bank and Mewar Aanchalik Gramin Bank (Regional Rural Banks), sponsored by the State Bank of Bikaner and Jaipur and ICICI Bank into a single Regional Rural Bank called as “Rajasthan Marudhara Gramin Bank” under the sponsorship of the State Bank of Bikaner and Jaipur with its Head Office at “Jodhpur”.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 23D of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby directs that with effect from the 1st April, 2014, the Marudhara Gramin Bank and Mewar Aanchalik Gramin Bank, which by reason of amalgamation have ceased to function, shall stand dissolved and this direction shall take effect notwithstanding anything to the contrary contained in section 26 of the said Act.

[F. No. 7/9/2011-RRB]

ALOK TANDON, Jt. Secy.